कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री कृष्ण अवतार गुप्ता (KRISHANAWTAR GUPTA), प्रधानाचार्य, GOVT. SER. SEC. SCHOOL KHURI KALA, DAUSA का स्थानान्तरण Govt. Girls' Senior Secondary School, GERAIN, KARAULI किया गया था जिसके विरूद्ध कृष्ण अवतार गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर मे अपील संख्या 3833/2019 कृष्ण अवतार गुप्ता बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3833/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयो के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील मे वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन पेश करने एवं प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति मे उस पर आगामी 15 दिवस में विचार करते हुए विभागीय दिशा–निर्देशो एवं नियमों के अन्तर्गत एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पारिवारिक परिस्थितियो के मद्देनजर अपना समायोजन पूर्व पदस्थापित विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य मे कही पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी श्री कृष्ण अवतार गुप्ता (KRISHANAWTAR GUPTA), प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/3833/कृष्ण अवतार गुप्ता/524/2019 दिनांक 21.02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सम्बन्धित, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. सम्बन्धित, जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्य।

11\. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)